


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका जो वर्तमान में आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यरत हैं, इनका पदस्थापन/समायोजन इनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम	कहाँ से (रामावि/ राबामावि)	Distt	कहाँ को(रामावि/ बामावि)	Distt
1	सुरेश पाल सिंह प्रअ	एपीओ कार्यालय हाजा (बामावि आनन्दनगर अलवर)	alwar	ढाणी ज्ञान सिंह- थानागाजी अलवर	alwar
2	अनिल कुमार यादव	एपीओ कार्यालय हाजा (एसएसए दौसा)	dousa	रा.जेपी यादव मावि, नीम का धाना सीकर	sikar

इन्हें अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक 21-12-16 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करना है। कार्यग्रहण की सूचना शालादर्पण में दर्ज करना सुनिश्चित करें। राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम (RVRES) में नियुक्त अधिकारी शहरी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कर सकेंगे।


(बी.एल.स्वर्णकार)

आई.ए.एस.


निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

दिनांक:- 21/12/16

कमाँक:- शिविरा/माध्य/संस्था/बी-1/45001/स्था-समा/2016-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर
3. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर
4. संबंधित उप निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक)
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक-I/II/विधि)
6. संबंधित संस्था प्रधान को पाबंद किया जाता है कि कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की कार्यवाही शालादर्पण के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें।
7. संबंधित कार्मिक
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)